

प्र.सं. 446/25

31-10-25

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवा में

आचार्य उपखण्ड अधिकारी मंडल

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम अमरगढ़ की जमाबंदी संख्या 2074-2077 के खाता संख्या 320 अमरगढ़ में लसाडिया (161) में मेश नाम में लसाडिया 2075-2078 (320)

रामपाल पिता भुरालाल दर्ज है जबकि अमरगढ़ की जमाबंदी संख्या 2074-2077 की खाता सं. 319 लसाडिया की जमाबंदी संख्या 2075-2078 की खा. नं. 204 में रामपाल उर्फ गोपाललाल पुत्र भुरालाल दर्ज है व दस्तावेज आकाशकामि गोपाल पुत्र भुरालाल दर्ज दिनांक:-

अतः मेश राजस्व रिकॉर्ड में सेवा रामपाल उर्फ गोपाललाल पुत्र भुरालाल दर्ज किया जा
गोपाल

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

2074-2077

निवेदन है कि ग्राम लसाडिया के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संख्या 2075-2078 में प्रार्थी का नाम रामपाल पुत्र भुरालाल है।

खा. सं. 161, 320

आकाशकामि व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम रामपाल उर्फ गोपाललाल पुत्र भुरालाल है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

पटवारी

रामपाल

16.10.2025

पटवारी

16/10/25

भू.अ.निरीक्षक

रिपोर्ट तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का / पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी अमरगढ़ व भू0अ0नि0 पटवारी एवं प्रार्थी द्वारा सत्यापन पत्रावली के अनुसार ग्राम लसाडिया की जमाबंदी संख्या 2075-2078 की खाता संख्या लसाडिया (161), 320 अमरगढ़ में प्रार्थी का नाम रामपाल के बजाय रामपाल उर्फ गोपाल लाल पिता भुरालाल किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार, माण्डल
जिला भीलवाड़ा

आदेश
मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार माण्डल ग्राम लसाडिया जमाबंदी संख्या 2075-2078 खाता संख्या 161, 320 में दर्ज प्रार्थी का नाम रामपाल के स्थान पर रामपाल उर्फ गोपाललाल पिता भुरालाल सत्यापन के आदेश दिये जाते हैं।

2025/537

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा